न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम. शर्मा,

सदस्य

निगरानी-3938/2018/रीवा/भू.रा. विरुद्ध आदेश दिनांक 21.05.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1368/अपील/15-16

---

1. विद्यावती त्रिपाठी बेवा पत्नी जगदीश प्रसाद, उम्र 81 वर्ष
2. उपेन्द्र त्रिपाठी तनय स्व. जगदीश प्रसाद उम्र 63 वर्ष
3. अनिल त्रिपाठी तनय स्व. जगदीश प्रसाद उम्र 45 वर्ष
4. संजय त्रिपाठी तनय स्व. जगदीश प्रसाद उम्र 42 वर्ष
5. श्रीमती मालता पत्नी गंगाप्रसाद तिवारी पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम सुरसा खुर्द, तह. रायपुर कर्चु. जिला रीवा (म.प्र.)
6. श्रीमती आशादेवी पत्नी कामताप्रसाद तिवारी पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम पतोना, तह. रायपुर कर्चु. जिला रीवा (म.प्र.)
7. श्रीमती ऊषा देवी पत्नी सुशील मिश्रा पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद उम्र 51 वर्ष निवासी साकिन पन्नी, तह. मऊगंज जिला रीवा (म.प्र.)
8. श्रीमती सरोज पत्नी उग्रसेन शर्मा पुत्री स्व. जगदीश प्रसाद उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम सुरसा कला, तह. रायपुर कर्चु. जिला रीवा (म.प्र.)

.....**आवेदकगण**

विरुद्ध

1. तीरथप्रसाद तनय स्व. ठाकुरदीन उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम गोढ़हर, तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
2. अयोध्याप्रसाद तनय स्व. ठाकुरदीन उम्र 77 वर्ष

निवासी ग्राम गोढ़हर, तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर
अनावेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी

आदेश

(आज दिनांक...20.5.19.....को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1368/अपील/15-16 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक क्र. 4 व अन्य के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष संहिता की धारा 32 के तहत अपील मेमोरी में काट-पीट कर सुधार करने के कारण अनावेदकगण के अधिवक्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने एवं अपील से हक समाप्त करने का आवेदन पेश किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 21.05.2018 द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी के मुख्य आधार यह हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नही किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीरथ प्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 22 नियम 3 जा.दी. पर जब न्यायालय द्वारा कोई सुनवाई नही की गई और न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नही किया गया तब गैरनिगरानीकर्ता तीरथ प्रसाद व तीरथ प्रसाद के अधिवक्ता को न्यायालय के अपील प्रकरण में किसी

प्रकार की काट पीट व सुधार करने का कोई अधिकार नहीं था किन्तु ऐसा मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर विचार नही किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील प्रकरण में वगैर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के आदेश के एक शब्द भी सुधार करना या काटपीट करना गंभीर प्रकृति के आपरिधक श्रेणी के कृत्य के साथ साथ न्यायालय के अवमानना संबधी आपराधिक कृत्य है कि तु ऐसा न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 32 में तर्क दिनांक 15.05.2018 को सुने गये और प्रकरण दिनांक 27.05.2018 को नियत कर दिया गया किन्तु गैर निगरानीकर्ता के दबाव व प्रभाव में आकर वगैर पेशी के ही फाईल निकालकर दिनांक 21.05.2018 को ही आदेश पारित कर दिया गया जिससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं आलेव्य आदेश विधि प्रकिया के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तगी है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.05.2018 के पैरा क्रमांक 05 के अंतिम पंक्ति में लिखा गया है "आवेदन आदेश 22 नियम 3 में रेस्पा को आपत्ति है इसलिए उसे भी स्वीकार किया जाए" अत: स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का न तो बोलता हुआ आदेश है और न ही सकारण निष्कर्ष है क्योकि अगर किसी बिन्दु पर आपत्ति मान्य की जाती है तो आवेदन निरस्त किया जाता न कि स्वीकार किन्तु ऐसा न मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अपर आयुक्त की आदेश पत्रिका दिनांक 02.02.2018 को देखने से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त द्वारा जगदीशप्रसाद की मृत्यु हो जाने से आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील मेमो में सुधार किए जाने का आदेश दिया गया है। उक्त आधार पर अपील मेमो में जगदीशप्रसाद के वारिसों को आहुत किया गया है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21.5.2018 द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर आवेदक द्वारा संहिता की धारा 32 के अधीन प्रस्तुत आवेदन का निराकरण भी कर दिया है । अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो को देखने से यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त अपील मेमो में और किसी प्रकार की कोई काट-छांट नहीं की गई है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अपर आयुक्त द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप को कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर अधीनस्थ न्यायालय में होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है। तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2018 यथावत रखा जाता है।

(बी.एम. शर्मा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर